न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
10/2014	9.6.2014	29.9.2025

मोती पुत्र फैली, मीना निवासी कडी झोपडी (मृतक)
1/1 भरतलाल पुत्र मोती, मीना निवासी कडी झोपडी तह0 तलावडा
1/2 बिहारी पुत्र मोती, मीना निवासी कडी झोपडी तह0 तलावडा
1/3 हरकेश पुत्र मोती, मीना निवासी कडी झोपडी तह0 तलावडा
1/4 रामकेश पुत्र मोती, मीना निवासी कडी झोपडी तह0 तलावडा
1/5 ग्यारसी बेबा मोती, मीना निवासी कडी झोपडी तह0 तलावडा
2. कल्याण पुत्र फैली, मीना निवासी कडी झोपडी तह0 तलावडा (मृतक)
2/1 रामरूप पुत्र कल्याण, मीना निवासी कडी झोपडी तह0 तलावडा
2/2 रत्तीराम पुत्र कल्याण, मीना निवासी कडी झोपडी तह0 तलावडा
2/3 धापा बेवा कल्याण, मीना निवासी कडी झोपडी तह0 तलावडा

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. ऋषिकेश पुत्र मोती, मीना निवासी कडी झोपडी तह0 तलावडा
2. ग्राम पंचायत तलावडा जरिए सरपंच, ग्राम पं0 तलावडा
3. सरकार जरिए तहसीलदार तलावडा
4. रूकमणी बेबा श्रीया, मीना निवासी कडी झोपडी तह0 तलावडा

——रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश नामान्तरकरण संख्या 117 दि0 20.08.2007
ग्राम कडी पट्टी

उपस्थित :–श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अपीलार्थीगण की ओर से

निर्णय

अपीलार्थीगण ने अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि फैली पुत्र मनफूल जाति मीना निवासी कडी झोपडी की खातेदारी भूमि ख0न0 48 रकबा 0.54 है0 ग्राम कडी पट्टी मे स्थित है। फैली के चार पुत्र मोती, कल्याण, राधेश्याम एवं बदरी है। राधेश्याम की औरत का नाम गिदोंडी था। राधेश्याम के एक पुत्र रामकरण पैदा हुआ। राधेश्याम की मृत्यु के करीब दो साल बाद ही गिदोन्डी, गुलाब पुत्र रंगा जाति मीना निवासी हीरापुर के नाते बैठ गई। सन 2000 के बाद रामकरण भी अविवाहित [illegible] हो चुका है। फैली की मृत्यु के उपरांत विरासत का नामान्तकरण [illegible] मोती, किलाण एवं रेस्पोडेन्ट्स बदरी के नाम भरा गया [illegible] तलावडा ने यह कहते हुए कि रामकरण की [illegible] ऋषिकेश के बंधी [illegible] था रामकरण का क्रियाकर्म ऋषिकेश ने किया है। [illegible]त नामान्तकरण ऋषि[illegible] के नाम हिस्सा 1/4 दर्ज कर दिया जबकि ऋषिकेश का रामकरण की चल व अचल सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नही था। रामकरण की छोडी हुई चल व अचल सम्पत्ति पर अपीलार्थीगण व बदरी का हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:10:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

1/3–1/3 अधिकार था, नामान्तकरण तीनों के नाम ही तस्दीक होना चाहिए था लेकिन अपीलार्थीगण की जानकारी के विना ही ऋषिकेश को रामकरण का गोदपुत्र वता कर उसके नाम नामान्तकरण दर्ज कर दिया जो खारिज होने योग्य है। ग्राम कडी झोपडी मे राधेश्याम की विधवा गिन्दोडी राधेश्याम के मरने के दो साल बाद ही गुलाब पुत्र रंगा मीना निवासी हीरापुर के नाते वैठ गई थी। इस प्रकार गिन्दोडी का राधेश्याम की चल व अचल सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नही था। उसके बाद भी रेस्पो. ऋषिकेश का नाम ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप से विरासत का नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। गिन्दोडी से अपने हक मे दिनांक 1.9.10 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ऋषिकेश ने तहरीर करवा लिया। उसमे ऋषिकेश ने अपने आप को राधेश्याम व रामकरण का गोदपुत्र होना अंकित नही किया है जबकि ग्राम कडी पट्टी की भूमि मे सरपंच ग्राम पंचायत तलावडा से मिलकर दिनांक 20.6.07 को अपने आप को रामकरण का गोदपुत्र होना अंकित किया है जो फर्जी है। अपीलार्थीगण को उक्त नामान्तकरण की पहले कोई जानकारी नही थी। दिनांक 2.6.14 को रेस्पो. द्वारा भूमि को दीगर जगह रहन वय करने की धमकी देने पर उक्त नामान्तकरण की जानकारी हुई है। जिसके अनुसार अपील अंदर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय ग्राम पंचायत तलावडा नामा. संख्या 117 दिनांक 20.6.07 निरस्त फरमाया जावें।

अपील के साथ अपीलार्थीगण ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, नकल नामान्तरकरण संख्या 117 दिनांक 20.6.2007 प्रस्तुत किया है।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया एवं मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए है।

जिला अभिलेखागार सवाई माधोपुर से अपीलाधीन नामान्तकरण की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त हुई है जो पत्रावली मे संलग्न है।

वहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 117 फैली पुत्र मनफूल के मरने के बाद उसके वारिस मोती, किलाण, बदरी पिता फैली के नाम पटवारी हल्का द्वारा भरा गया परन्तुत ग्राम पंचायत तलावडा ने इस नामान्तकरण पर फैली के पूर्व मे मृतक पुत्र राधेश्याम के एक पुत्र रामकरण होना, रामकरण का लाऔलाद फौत होना, रामकरण के नियमकर्ता ... ऋषिकेश पुत्र मोती के होना, एक वसीयतनामा भी ऋषिकेश के ... होना बताते हुए 1/4 हिस्से की भूमि का नामान्तकरण ऋषिकेश के नाम तस्दीक कर दिया जो विधि विरुद्ध है क्योकि ऋषिकेश के पक्ष में रामकरण द्वारा कभी कोई वसीयतनामा नही लिखा गया है और इस नामान्तकरण के साथ वसीयतनामें की कोई प्रति भी प्रस्तुत नही की गई है। ऋषिकेश के नाम इस अपीलाधीन नामान्तकरण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:10:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

आधार पर भूमि दर्ज हो जाने के कारण ऋषिकेश द्वारा वादग्रस्त भूमि को रेस्पो0 संख्या 4 रूकमणी देवी को विक्रय कर दिया गया है जो विधि विरूद्ध है क्योकि जब ऋषिकेश के पक्ष मे खोला गया नामान्तकरण ही विधि विरूद्ध है तो उस नामान्तकरण के आधार पर हुए अन्य हस्तानान्तरण भी विधि विरूद्ध है। अपने इस कथन के समर्थन ने अपीलार्थीगण के विद्धान अभिभाषक ने न्याय दृष्टान्त 2015(2) सी.सी.सी. 245 आन्ध्रप्रदेश, 2015 (2) सी.सी.सी. (पंजाब एवं हरियाण उच्च न्यायालय) प्रस्तुत करते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख एवं न्याय दृष्टान्तों का अवलोकन किया। विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 117 दिनांक 20.6.2007 ग्राम कडी पट्टी ग्राम पंचायत तलावडा द्वारा रस्पो. ऋषिकेश पुत्र मोती के नाम खोलने का आदेश दिया गया है। अपने आदेश मे सरपंच, ग्राम पंचायत, तलावडा ने ऋषिकेश के नाम रामकरण की वसीयत होना माना है जबकि पत्रावली पर कोई भी वसीयतनामा प्रस्तुत नही हुआ है तथा रेस्पो. ऋषिकेश ने भी अपने पक्ष मे कोई वसीयतनामा प्रस्तुत नही किया है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर इसे पुनः जांच हेतु तहसीलदार तलावडा को रिमाण्ड किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं नामान्तरकरण संख्या 117 दिनांक 20.6.2007 ग्राम कडी पट्टी निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार तलावडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीगण को सुनकर नामान्तरकरण संख्या 117 दिनांक 20.6.2007 ग्राम कडी पट्टी पर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। अपीलार्थीगण सुनवाई हेतु तहसीलदार तलावडा के न्यायालय में उपस्थित होवे। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.9.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:10:09 IST
Reason: SelfAttested

(ब्रिजेन्द्र मीना)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०)